तरिशाब

न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरणसर

बअदालत–संजीव कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या – 2022/169

1. मनीराम पुत्र श्री कुम्भाराम जाति जाट निवासी किसनासर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर ।

–वादी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) लूनकरणसर–**प्रतिवादी**

दावाबाबत घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ती
दावाअन्तर्गत धारा 88 आरटी एक्ट एवं धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित–

1. श्री रामकरण मूण्ड वकील वादी
2. पैरोकार राज

–:निर्णय:–

दिनांक :– 11/01/2024

संक्षेपमें इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटी एक्ट एवं 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि मौजा रोही किसनासर तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 903/340 तादादी 6.5100 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड मे विधिवत दर्ज है। वादी का उपरोक्त भूमि पर कब्जा एवं दखल चला आ रहा है। वादगत भूमि वादी की खातेदारी भ्झूमि है सहबन से वादी का नाम मुनीराम की जगह कुनणाराम दर्ज कर दिया गया जो महज लिपिकीय भूलवंश दर्ज हुआ है जो दुरूस्ती योग्य है। वादी का सही नाम मनीराम है। वादी का नाम मनीराम के स्थान पर कुनणाराम दर्ज कर दिया है जो मात्र लिपिकीय भूल है। वादी का वास्तविक एवं सही नाम मनीराम है इसी नाम से वादी को जाना एवं पुकारा जाता है मनीराम के नाम से ही राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, वोटर आईडी आदि तमाम दस्तावेज बने हुए है।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

राजस्व रिकार्ड मे सहबन से वादी का नाम मनीराम के स्थान पर कुनणाराम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुआ है जिसे घोषणा के जरिये वादी दुरूस्त करवाकर मनीराम पुत्र कुम्भाराम दुरूस्त कराने का हकदार है। वादी द्वारा कई बार राजस्व अभियानो मे नाम दुरूस्ती बाबत् प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किए गए उन प्रार्थना –पत्रों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई मजबूरन वादी को घोषणात्मक वाद के अलावा कोई विकल्प नहीं है वादी द्वारा तहसीलदार महोदय को नाम दुरूस्ती की प्रार्थना पत्र दिनांक 15.04.2022 को प्रस्तुत करने पर तहसीलदार द्वारा न्यायालय हाजा मे वाद प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए जिसके कारण वादी को नाम दुरूस्ती बाबत प्रतिवादी के विरूद्ध वाद कारण हासिल हुआ। यही दिनांक विनाय दावा एवं विनाय मुखास्मत है। अतः वकील वादी द्वारा घोषणात्मक डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी विनाय की जारी फरमाई जावे कि वादगत खातेदारी कृषि भूमि वादी के नाम से कृषि भूमि मौजा रोही किसनासर तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 903/340 तादादी 6.5100 हैक्टेयर बारानी भूमि स्थित है। जिसमे वादी का नाम कुनणाराम के स्थान पर मनीराम नाम की घोषणा करवाने का हकदार है जिसकी घोषणा हेतु निवेदन किया गया।

वाद दर्ज रजिस्टर कर स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर को समन जारी किये गए। वादी का वास्तविक नाम मनीराम हैं। इसी नाम से वादी जाना व पुकारा जाता हैं। वाद पत्र के समर्थन मे पटवार हल्का किशनासर द्वारा फर्द मौका दिनांक 30.05.2018, कार्यालय ग्राम पंचायत राजपुरा हुड्डान एवं नाथवाणा द्वारा मनीराम उर्फ कुनणाराम पुत्र कुम्भाराम तस्दिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड प्रति, वादी के नाम दुरूस्ती के समर्थन मे रामलाल पुत्र हनुमानराम जाति ब्राह्मण निवासी किसनासर एवं कुम्भाराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी किसनासर शपथ पत्र शामिल मिसल है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावाब हकवादी खिलाफ प्रतिवादी डिक्री फरमाया जावे उक्त भूमि खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि में कुनणाराम को दुरूस्त कर मनीराम दुरूस्त फरमावें। अतः वादगत भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में कुनणाराम के स्थान पर मनीराम खातेदार घोषित करवाने का हकदार है। पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर ने वादी द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन उपरान्त वांछित दुरूस्ती की घोषणा किये जाने की अनुशंषा की है।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

हमने उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया पत्रावली में वादपत्र के समर्थन मे प्रस्तुत दस्तावेज पटवार हल्का किशनासर द्वारा फर्द मौका दिनांक 30.05.2018, कार्यालय ग्राम पंचायत राजपुरा हुड्‌डान एवं नाथवाणा द्वारा मनीराम उर्फ कुनणाराम पुत्र कुम्भाराम तस्दिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड प्रति, वादी के नाम दुरूस्ती के समर्थन मे रामलाल पुत्र हनुमानराम जाति ब्राह्मण निवासी किसनासर एवं कुम्भाराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी किसनासर शपथ पत्र का भलीभांती अवलोकन किया गया। उक्त प्रस्तुत शामिल मिसल दस्तावेज प्रस्तुत बहस के आधार पर वादी का सही नाम मनीराम की पुष्टि होती है। अतः वादपत्र वादी स्वीकार किया जाता है कि वादगत भूमि मौजा रोही किसनासर तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 903/340 तादादी 6.5100 हैक्टेयर बारानी में वादी का नाम कुनणाराम के स्थान पर मनीराम दुरूस्ती की घोषणा की जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार लूनकरणसर को पालनार्थ भिजवाई जावे। अतः उक्त दुरूस्ती का अंकन किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 11/01/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर जलसाआम में सुनाया गया।

(संजीव कुमार)
उपखण्डअधिकारी
लूनकरणसर

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत: उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

ब इजलास : संजीव कुमार आरएएस

मनीराम बनाम स्टेट

दावा अंतर्गत धारा 88 आरटीए, धारा 136 एलआरएक्ट

मुकदमानम्बर : 169/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी **वादी वकील रामकरण मूण्ड,** मिनजानिब मुदई **पैरोकार राज राज्य की ओर से** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि मौजा रोही किसनासर तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 903/340 तादादी 6.5100 हैक्टेयर बारानी में वादी का नाम कुणाराम के स्थान पर मनीराम दुरूस्ती की घोषणा की जाती है।

नीज ....- ....मुबलिक ....- ....बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -............................ फीससदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ....-......................... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से मजमाआम में आज दिनांक 11/01/2024 को मेरे द्वारा डिक्री जारी की गई।

उपखण्डअधिकारी
लूनकरनसर